दिनांक 16/8/19 का पृष्ठ सं

16/8/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी हाजिर ना। बार-बार आवाज लगाई। बार-बार आवाज लगाने पर भी ना तो वकील प्रार्थी हाजिर और ना ही प्रार्थी स्वयं हाजिर। अतः प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। [signature]